30.12.202

वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर हस्ब ज़ाब्ता दाखा रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 15/2010 — आर.सी.एम.एस 2010/00044 — तारीख रजू 26.04.2010

1. रामदयाल पुत्र भौरया जाति धोवी निवासी बजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली।

सायल

बनाम

1. मुला पुत्र गिलारिया जाति धोवी निवासी बजीरपुरा गेट करौली तहसील करौली जिला करौली।
2. लक्ष्मीदेवी वेवा पत्नि गोपाल जाति धोवी निवासी बजीरपुरा गेट करौली तहसील करौली जिला करौली।
3. जमना पत्नि संजय कुमार जाति धोवी निवासी बजीरपुरा गेट करौली तहसील करौली जिला करौली।
4. ज्याति पुत्री गोपाल जाति धोवी निवासी बजीरपुरा गेट करौली तहसील करौली जिला करौली।
5. ललिता पुत्री गोपाल जाति धोवी बजीरपुरा गेट करौली तहसील करौली जिला करौली।
6. तहसीलदार लैण्ड होल्कर तहसील करौली जिला करौली।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र धारा 212 .आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 30.12.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित उनवानी दावा न्यायालय श्रीमान में पेश हो चुका है जिसका मुकदमा नम्बर 66/2009 है दावा सायल प्राईमाफसी वहुत ही मजबूत है दस्तावेजी सबूतो पर आधारिज है कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है आराजी खसरा नम्बर 5841 रकवा 1.00 वीधा 0.10 विस्वा करौली सायल व गैरसायल 01 ता05 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की स्थित है सायल का 1/4 हिस्सा है गैरसायल नम्बर का 1/2 हिस्सा है गैरसायल नम्बर 02 ता 05 का 1/4 हिस्सा है गैरसायल नम्बर 01 के लडके चालाक व ताकतवर व्यक्ति है आये दिन जमीन हडपने के लिए जोत बोने के समय कम अधिक कह कर झगडा करने पर उतारू रहते है सायल शान्ति प्रिय व्यक्ति है पारिवारिक सम्बन्ध नही बिगडे इसलिए हमेशा झगडे को टालता रहता है।

सायलान दिनांक 23.03.2010 को खेत में अपनी काश्त की हुई फसल गेहू को काट रहा था तब गैरसायल नम्बर 01 सायल से झगडा करने पर उतारू हो गया और सायल की फसल गेहूँ को सायल के हिस्सा 1/4 मे से जबरन उठा कर ले गया गैरसायल नम्ब्र 11 के संयुक्त हिस्से कब्जे काश्त में लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

व्यवधान कर रहा है सायल को आराजी से उचित फसल लाभ नही लेने दे रहा है सायल के 1/4 हिस्से की आराजी में लगे बेरिया के पेडों को काटकर गैरसायल नम्बर 1 दिनांक 24.04.2010 को ले गया गैरसायल नम्बर 1 सायल के हिस्से व कब्जे की आराजी में डेमेज कर रहा है इस लिए प्रार्थना पत्र रिसीवर प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। गैरसायल नम्बर 1 की अनाधिकृत कार्यवाही से हक हकूक सायल पर भारी फसल लाभ से महरूम हो जावेगा। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब कियाा गया।

गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि न्यायालय में मुकदमा नम्बर 66/2009 को सायल द्वारा पेश किया जाना स्वीकार है सायल का कोई प्रथम दृष्टता केश साबित नही है ना ही उसको कोई कामयाबी की उम्मीद है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी नही बताया है कि सायल का रिसीवर के लिए प्राईमाफसी केश इस तरह साबित है रिसीवर नियुक्त किया जाना जो एक हाईएस्ट रेमेडी है सायल किस प्रकार और क्यू प्राप्त करने का अधिकारी है सायल का यह कहना कि खसरा नम्बर 5841 रकबा 1.00 वीधा विस्वा वाके कस्बा करौली संयुक्त खातेदारी का है यह पूरी तरह गलत है सायल ने विवादित खसरा नम्बर 5841 कभी किसी रकवे को सायल के पिता भौरया को भौरया पुत्र नानगा जाति धोवी निवासी महोली तहसील करौली के गोद पुत्र गोदनसीन होने के बाद अथवा इससे पहले अथवा पीछे तक कभी काश्त नही किया बल्कि जो भी फसल काश्त की गयी है वही प्रतिवादी नम्बर 01 के द्वारा ही अब तक फायदा उठाया आ रहा है सायल ने जो तथ्य उक्त आराजी को वेस्ट करने बाबत दर्ज किऐ है वही गलत है सायलान के आराजीयात में कोई हक हकूक नही है। सायलान ने यह प्रार्थना पत्र गलत तौर पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वहस वकील फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजी सायल व गैरसायलान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज जिसका कोई विभाजन सायल व गैर सायलान के मध्य नही हुआ है सायल सहखातेदार गैरसायलान के विरूद्व जब तक आराजी का विधिवत तरीके से बटवारा नही होता तब तक रिसीवर जैसी हॉडशिप दादरसी प्राप्त करने का हक प्रतीत नही होता है क्योकि सहखातेदार का भूमि के इंच–इंच पर कब्जा होता है सायल आपने हक मे प्राईमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थना पत्र सायल चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैरसायलान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:39 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner